

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

ग्रा0वि0 अधि0 सं0-(ग्रा0वि0-14(नि0क्र0)मधेपुरा-47/2017) 370563 /पटना, दिनांक :- 22-05-2018

श्री दिवाकर कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर प्रखंड मधेपुरा (मधेपुरा) को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गठित धावादल द्वारा दिनांक- 30.11.2017 को परिवादी श्री नीतीश कुमार से 50,000/- (पचास हजार रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या- 344618 दिनांक- 22.12.2017 द्वारा श्री कुमार को उनके कारा निरोध की तिथि 30.11.2017 से कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया।

2) श्री दिवाकर कुमार के द्वारा दिनांक- 14.03.2018 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक- 15.03.2018 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या-370166 दिनांक- 18.05.2018 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9(3)(i) के आलोक में निलम्बनमुक्त करते हुए योगदान स्वीकृत किया गया।


3) चूंकि श्री कुमार के विरुद्ध गंभीर कदाचार/भ्रष्टाचार का आरोप है तथा उन्हें रिश्वत लेते पकड़ा गया जिसके लिए उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं0- 108/17 दर्ज है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के आलोक में योगदान की तिथि दिनांक- 15.03.2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है।

4) निलम्बन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5) निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना निर्धारित किया जाता है।

6) निलम्बनादेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(राधा किशोर झा)
अपर सचिव।

जापांक:- 370563 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 22-05-2018

चपरासी
बही

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंके में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव।

जापांक:- 370563 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 22-05-2018

चपरासी
बही

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव।

जापांक:- 370563 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 22-05-2018

चपरासी

बही/निबंधित/


ईमेल/हाथोंहाथ

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना / जिला पदाधिकारी, मधेपुरा / उप विकास आयुक्त, पटना / निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा / उप विकास आयुक्त, मधेपुरा / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 / प्रभारी पदाधिकारी (लेखा शाखा) / श्री दिवाकर कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर प्रखंड मधेपुरा (मधेपुरा) सम्प्रति ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (निलम्बन मुख्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव।

जापांक:- 370563 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 22-05-2018

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव।